न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–325/2018 (जीसीएमएस नं. 2018/00298)

1. श्रीमती विधादेवी पत्नी हीरासिंह, जाति अहीर,
2. नारायण सिंह पुत्र हीरासिंह, जाति अहीर,
3. परीक्षत पुत्र श्री भूपसिह, जाति यादव, निवासी बासकृपाल नगर तहसील किशनगढ़बास, जिला अलवर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. कॅवर सिंह पुत्र सुगना उर्फ शकुन्ताला देवी पुत्री भूपसिंह पत्नी ओमप्रकाश जाति यादव निवासी बासकृपाल नगर हाल आबाद जहापुरी तहसील कोटकासिम।
2. प्रतापसिह पुत्र सुगना उर्फ शकुन्ताला देवी पुत्री भूपसिंह पत्नी ओमप्रकाश जाति यादव निवासी बासकृपाल नगर हाल आबाद जहापुरी तहसील कोटकासिम।
3. जलदीप पुत्र सुगना उर्फ शकुन्ताला देवी पुत्री भूपसिंह पत्नी ओमप्रकाश जाति यादव निवासी बासकृपाल नगर हाल आबाद जहापुरी तहसील कोटकासिम।
4. ग्राम पंचायत बासकृपाल नगर पंचायत समिति किशनगढबास जरिये सरपंच बासकृपाल नगर।
5. कार्यकारी अधिकारी नगर पालिका किशनगढबास, जिला अलवर राजस्थान।

––असल रेस्पोडेन्ट्स

6. मगना देवी पुत्री भूपसिह पत्नी अशोक जाति अहीर हाल इसरोदा तहसील तिजारा
7. सरोज देवी पुत्री भूपसिह पत्नी नरेश, जाति अहीर निवासी बासकृपाल नगर हाल गांव सानोदा तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान।

––तरतीबी रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. **श्री विजयसिह राठौड़, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री राजेन्द्र यादव एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 28.03.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.06.2018 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में एक अपील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की ओर से नामान्तरकरण संख्या 793 बासकृपाल नगर के सम्बन्ध में प्रस्तुत की

P.T.O.

गई जो नामान्तरकरण ग्राम पंचायत बासकृपाल नगर द्वारा दिनांक 05.01.2004 को निर्णित किया गया तथा उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व कैम्प में बिना अपीलान्ट्स को सुनवाई का कोई अवसर दिये दिनांक 30.06.2018 को स्वीकार की गई है। उन्होने आगे कथन किया है कि विवादित नामान्तरकरण संख्या 793 वाके ग्राम बासकृपाल नगर में दर्ज आराजी के सम्बन्ध मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास के यहॉ इन्ही पक्षकारों के मध्य एक नियमित वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत विचाराधीन है, तथा कानूनन जब नियमित वाद विचाराधीन है तथा नियमति वाद में दोनों पक्षकारों के साक्ष्य सबूत लेकर अधिकारों का निस्तारण किया जाना है तो ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण जैसी समरी प्रोसिडिन्ग कानूनन चलने योग्य नही है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून की स्थिति को नजरअन्दाज करते हुये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.06.2018 पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व कैम्प न्याय आपके द्वार में निर्णय पारित किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को कैम्प में हाजिर होने के सम्बन्ध कोई सूचना नही भिजवाई गई। इस प्रकार बिना अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये निर्णय पारित किया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि विवादित नामान्तरकरण संख्या 793 वाके ग्राम बासकृपाल नगर जो ग्राम पंचायत बासकृपाल नगर द्वारा दिनांक 05.01.2004 को निर्णित किया गया है जिसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में करीब 10 साल पश्चात् अपील प्रस्तुत की गई जो अपील स्वतः ही मियाद बाहर थी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 10 वर्ष की मियाद बाहर अपील को स्वीकार करने में कानूनी भारी भूल की तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद बिन्दु पर अपना कोई मत भी व्यक्त नही किया है एवं कानूनन मियाद बाहर अपील का गुणावगुण पर निर्णय किये जाने से पूर्व मियाद के बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय किया जाना आवश्यक है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा विधि विरूद्ध निर्णय दिनांक 30.06.2018 पारित किया है जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 हीरासिंह पुत्र भूपसिह जिसकी मृत्यु निर्णय किये जाने से पूर्व हो चुकी थी तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हीरासिंह की मृत्यु के उपरान्त उसके विधिक वारिसों को रिकार्ड पर लेने सम्बन्धि कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया तथा ना ही हीरासिह के विधिक वारिसों को दर्ज रिकार्ड किया गया। इस प्रकार बिना विधिक वारिसों को रिकार्ड पर लिये तथा बिना वारिसों को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये ही अधीनस्थ

माननीय आयुक्त
कार्यालय

न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.06.2018 पारित किया गया है जो कानूनन मरे हुये व्यक्ति के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील में जो अपीलान्ट अपने आपको सुगना के वारिस बतलाकर कार्यवाही कर रहे है कानूनन वो सगुना के वारिसान नही है तथा मृतक भूपसिंह का विरासती नामान्तरकरण दर्ज होने से पूर्व ही सुगना की मृत्यु हो चुकी थी जब सुगना को ही मृतक भूपसिंह के जीते जी कोई अधिकार प्राप्त नही हुये तो किसी को भी सुगना की विरासत के सम्बन्ध में कोई अधिकार प्राप्त नही होते है जिस तथ्य की ओर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.06.2018 पारित किया है, जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.06.2018 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने कथन किया है कि मृतक भूपसिंह पुत्र सुरज्ञान के सजरा खानदान के अनुसार रेवती, सुगना उर्फ शकुंतला, मंगना, सरोज, हीरासिंह, परीक्षित है, एवं सुगना उर्फ शकुंतला के फौत होने पर उनके वारिसान कॅवरसिंह, प्रताप सिंह, जलदीप है। उन्होने आगे कथन किया है कि प्रकरण रेस्पोडेन्ट/अपीलान्ट की माता जी ने अपने पिता श्री भूपसिंह की सम्पत्ति खुद के नाम आने पर स्वयं के नाम इन्द्राज दर्ज करवाने से सम्बन्धित है कि उक्त सम्पत्ति में सुगना उर्फ शकुंतला का 1/6 हिस्सा है। उन्होने आगे कथन किया है कि भूपसिंह की अन्य पुत्रीयों द्वारा अपना हिस्सा हकत्याग किया गया था किन्तु सुगना उर्फ शकुंतला ने अपने हिस्से व हक का कभी हकत्याग नही किया था उसके उपरान्त भी ग्राम पंचायत के निर्णय दिनांक 05.01.2004 द्वारा गलत तरीके से हकत्याग सुगना का भी मान लिया गया जो कि गलत है तथा ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 05.01.2004 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जो निर्णय दिनांक 30.06.2018 द्वारा प्रकरण रिमाण्ड किया गया है जो सही व उचित आदेश है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार भूपसिह की मृत्यु होने पर विरासती नामान्तरकरण की कार्यवाही के समक्ष रजिस्टर्ड रिलीज दस्तावेज संख्या 803 दिनांक 13.08.2003 के द्वारा खातेदार की पत्नी, पुत्रीयों द्वारा अपना हिस्सा अपने पुत्र एवं भाईयों के पक्ष में रिलीज करने पर ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण संख्या 793 दिनांक 05.01.2004 को स्वीकार किया गया है जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा लगभग 10 वर्ष पश्चात् मियाद बाहर अपील वर्ष 2014 में अधीस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई। पत्रावली के

अवलोकन से यह भी जाहिर होता अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में तारीख तारीख पेशी दिनांक 02.05.2018 नियत थी उसके पश्चात् प्रकरण में सीधे दिनांक 30.06.2018 को प्रकरण लोक अदालत में निर्णित किया गया है जबकि कानूनन लोक अदालत में केवल उन्ही प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिन प्रकरण में उभयपक्ष आपसी सहमति से अपने प्रकरणों को निस्तारण कराना चाहते हो किन्तु हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट की किसी प्रकार की सहमति नही रही है। साथ ही पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि पक्षकारान के मध्य वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में एक नियमित वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष विचाराधीन है जहॉ पक्षकारान के हक हकूक अधिकारों का विनिश्चयन होना अभी बाकी है तो ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण की फिस्कल कार्यवाही के माध्यम से रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 3 का हक हकूक अधिकार तय नही हो सकते किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.06.2018 पारित किया गया है जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विचेन के आधार पर अपील अपलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.06.2018 को निरस्त किया जाता है एवं नामान्तरकरण संख्या 793 वाके ग्राम बासकृपाल नगर पर तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.01.2004 को बहाल किया जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।